राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-७०६५/०६

देवी सिंह बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक :१४.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री संजय सिंघल,अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से

श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

श्री महेश गुप्ता, अधिवक्ता, अभियोगी की ओर से

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत सामग्री/ केस डायरी का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त -प्रार्थी देवी सिंह के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वृद्ध राम प्रसाद की हत्या कारित करने के आशय से उसके सिर व शरीर के अन्य भागों पर कुल १४ चोटें कारित कर आहत करने का मामला है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपुयक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व इस मामले में अभियुक्त-प्रार्थी की बतायी गयी लिप्तता, लगाये गये आरोप व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त-प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

फलत:अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस प्रक्रम पर अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि वह स्वयं को सक्षम न्यायालय के समक्ष समर्पित करने को तत्पर है।

इस संदर्भ में इतना ही अंकित किया जाना उपयुक्त होगा कि अभियुक्त-प्रार्थी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।

यदि अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा स्वयं को समर्पित कर जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे तो सम्बन्धित सक्षम न्यायालय, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत ढंग से विचार कर यथा सम्भव उसका शीघ्र निस्तारण कर देंवे।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल)